

FORM NO III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

राज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई

मुकाम अराई (अजमेर)

पुत्र सुखा जाति जाट निवासी ग्राम सान्दोलिया तहसील अराई, जिला अजमेर राज0

वादी

बनाम

2. रतनी पत्नी श्योकरण जाति जाट निवासी ग्राम गागुन्दा तहसील अराई, जिला अजमेर राज0. वगै.
प्रतिवादीगण

किस्म मुकदमा- राज. का. अधि. धारा 53,188 के तहत

नंबर 56 /2021

ऑनलाइन नंबर 2021 /

वकील वादीगण अशोक जी

वकील प्रतिवादीगण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.07.2021	यह वादपत्र वादीगण की ओर से वकील अशोक शर्मा जी ने अन्तर्गत धारा राज. का. अधि. धारा 53,188 के तहत पेश किया। वादपत्र के साथ संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया, वकील वादीगण को सुना गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 18.08.2021 को पेश हो।	
18/8/2024	पत्रावली पेश हुई वकील वादीगण/प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 16 के तामिलयुद्ध नोटिस शामिल मिसल/उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं/पत्रावली अवाक प्रतिवादीगण दिनांक 31/8/2024 को पेश हो/प्रश्न स्वेचार प्रतिवादीगण पत्रावली दिनांक 31/8/2024 को पेश हो	
31/8/2024	पत्रावली पेश हुई वकील वादीगण/प्रतिवादी संख्या से कोई उपस्थित नहीं/पत्रावली वास्तव में पत्रावली प्रतिवादीगण दिनांक 04/10/2024 को पेश हो	

उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

N^o
Signature
Please

28/3/25

पुजावली पेश हूँ। वकील वादी अनुपस्थित।
वकील वादी व बादीजण को शाम 6:00 बजे
तक शक-शक कर नीन ब्यार आवाज लगेबाई
आई किन्तु नाही वट उपस्थित हूट नाही कोई
उनके प्रतिनिधि उपस्थित हूट आना वादी
आट वाट आरेख 09 नियम 03 CPC के
तहत अदम राजनी एवं अदम वेवनी के स्वार्थिक
लिखा गान है। पुजावली केवल सुभार होकर
नबर से कम हो

अदम अतिवारी
आई (अदम)